उ0प्र पावर कारपोरेशन लि0 सी0पी0एफ–ट्रस्ट

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन विस्तार,

लखनऊ

संख्या 08 / सी0पी0एफ0–ट्रस्ट / दिनांक 02 जनवरी, 2008

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

विषय : अशंदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत देय कर्मचारी अंशदान एव नियोक्ता अंशदान के सम्बन्ध में।

कृपया विषयांकित के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 689–कादिनी / पाकालि–29 / 07–8–कादिनी / 2001 दिनांक 20.09.2007 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या 765(1)कादिनी–29 / पाकालि / 2007–08–कादिनी / 2001 दिनांक 18.10.2007 के सम्बन्ध में क्षत्रीय स्तर पर कतिपय भ्रांतियाँ पाई जा रही हैं जिसके कारण कर्मचारी अंश एवं नियोक्ता अंश का निश्चयन त्रुटि पूर्ण ढंग से किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि उप महा प्रबन्धक लेखा प्रशासन के परिपत्र संख्या 1564 / उ0प्र0पा0–लेखा (राज्यपा0प्र0) दिनांक 27.03.2006 के द्वारा 10.04.2004 से अनुमन्य 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते की धनराशि को महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 71 वे0प्र0(30)/ पाकालि / 2006–08 वे0प्र0 / 2006 दिनांक 27.02.2006 का स्पष्टीकरण निर्गत किया जा चुका है जिसमें मूल वेतन महंगाई वेतन को सम्मिलित कर सी0पी0एफ0 अंशदान 10 प्रतिशत की दर से आंकलन का निर्देश दिये गये हैं।

पुनश्च कार्यालय ज्ञाप संख्या 785 दिनांक 18.10.2007 के द्वारा मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत अर्थात 'मूल वेतन + 50 प्रतिशत मंहगाई वेतन + मंहगाई भत्ते' तीनों के योग के 10 प्रतिशत के बराबर कर्मचारी अंशदान एव नियोक्ता अंशदान का आकलन किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार सी0पी0एफ0 अंशदानों की कटौती कर कटौती के 15 दिनों के अन्दर देय अंशदानों का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 सी0पी0एफ0 ट्रस्ट को प्राप्त कराना सुनिश्चित करायें।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या 08 / सी0पी0एफ0 ट्रस्ट / तद्दिनांक 02 जनवरी, 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / कानपुर ।
3. महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक लेखा एंव प्रशासन, शक्ति भवन लखनऊ ।
4. समस्त उप महाप्रबन्धक (लेखा), मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / कानपुर ।
5. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय वितरण / पारेषण, मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को / उ0 प्र0 पाकालि, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / कानपुर ।
6. कट फाइल